न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर(राज.)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **20/2014** (आवंटन निरस्ती)

1. श्री जेतसिंह पिता धुलसिंह जी दसाणा (राजपुत) निवासी गणावल तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री भैरूसिंह पिता धुलसिंह दसाणा निवासी गणावल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्री कालुसिंह पिता तेजसिंह जी चदाणा राजपूत निवासी गणावल तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
2. श्रीमती हीरकी पत्नि कालुसिंह चदाणा राजपूत निवासी गणावल तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
3. उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा, जिला उदयपुर

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आवंटन उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा, दिनांक 11.04.2013

उपस्थितः– श्री कुलदीप शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री गिरजाशंकर मेहता अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः .....

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गणावल तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर की हाल आराजी नम्बर 2737 रकबा 1.2400 हैक्टर भुमि का आवंटन दिनांक 11.04.13 को आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षीगण को किया गया हैं। जबकि उक्त आवंटीत भुमि पर विगत 50 वर्षो से अधिक समय से मुझ प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा हैं। इस भुमि के आधिपत्य के संबंध में धारा 91 राजस्थान भु राजस्व अधिनियम की कार्यवाही तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा प्रार्थी के पिता व प्रार्थी के विरूद्ध फरमायी गई। धारा

91 के नोटिस भी दिये गये। कब्जे के संबंध में सभी को ज्ञान हैं। नियमित रूप से काश्त की जा रही हैं। भुमि को काफी मेहनत मजदुरी कर प्रार्थी व उसके परिवार वालो ने काश्त योग्य बनायी हैं। इस प्रकार उपरोक्त भूमि एकमात्र प्रार्थी के आधिपत्य में होकर विपक्षी 1 व 2 द्वारा आवंटन कपट व मिथ्या दुर्व्यवदेशन से कराया गया हैं। इस भुमि के आवंटन बाबत कोई सार्वजनिक उद्घोषणा नहीं फरमायी गई। मात्र आवंटन गुपचुप तरीके से राजस्व कर्मचारी व सरपंच से मिली भगत कर किया गया हैं। आवंटन तात्विक तथ्यों को छिपाकर पारित किया गया है जिसमें आवंटन आवंटन कमेटी को धोखा देकर मिथ्या जानकारी प्रदान कर करवाया गया हैं। प्रार्थना पत्र में विपक्षी द्वारा अपने को भुमिहीन बताया गया है जबकि ग्राम गणावल तहसील गोगुन्दा के निवासी होकर विपक्षी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से भुमि दर्ज हैं। यदि भुमि का अंकन आवंटी द्वारा अपने फार्म में किया जाता तो उसको कभी भी आवंटन नहीं होता। उक्त भुमि अनऑक्युपाईड भुमि नहीं थी। नाही इसका आधिपत्य विपक्षीगणों को प्रदान ही किया गया। जबकि इस आवंटीत भुमि पर प्रार्थी का कब्जा होकर धारा 91–क की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की जाती रही हैं। आवंटन पूर्णतया विधिविरूद्ध व तथ्यों को छिपाकर कपटपूर्ण तरीके से मिलीभगत कर करवाया गया आवंटन हैं। जो प्रथम दृष्ट्या निरस्त योग्य होने से ग्राम गणावल की आराजी संख्या 2737 रकबा 1.2400 हैक्टर का आवंटन निरस्त फरमाया जावें।

अपने प्रार्थना पत्र के साथ में प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का भी प्रस्तुत कर मौके का स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट बनायी जाने हेतु कमिश्नर नियुक्त फरमाया जाकर मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगायी जाने हेतु निवेदन किया गया हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम पर आवंटन न्याय एवं विधि के सिद्धांतो के अनुरूप किया गया हैं। आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 11.04.13 को नियमानुसार विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटन किया जाकर मौके पर विपक्षीगण

को कब्जा सिपुर्द किया गया। तब से आज दिन तक उक्त भुमि पर कब्जा विपक्षीगण का होकर लगातार कृषि की जा रही हैं। भुमि को काबिल काश्त बनाया गया। वादग्रस्त स्थल पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है और नाही विपक्षीगण को किसी कार्यवाही की कोई जानकारी हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

विपक्षी द्वारा अपने जवाब के साथ में एक प्रार्थना पत्र बाबत स्थल निरीक्षण करवा रिपोर्ट मंगवाये जाने का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हल्का पटवारी या तहसीलदार गोगुन्दा या अन्य किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा मौके का स्थल निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा गणावल तहसील गोगुन्दा की आराजी नम्बर 2737 रकबा 1.2400 हैक्टर भुमि विपक्षीगणों द्वारा झुठे तथ्य अंकित करते हुए सरपंच पटवारी कि मिलीभगत से कपटपुर्ण मिथ्या दुर्व्यवदेशन से आवंटन करवाया गया हैं। जबकि विपक्षीगण द्वारा भुमिहीन बताकर आवंटन करवाया गया हैं। आवंटीत भुमि पर प्रार्थीगणो का 50 वर्ष से अधिक समय से निरंतर कब्जा काश्त होता रहा हैं। कब्जा होने से धारा 91 की कार्यवाही भी प्रार्थीगणों के विरूद्ध की गई हैं। आवंटी को एक ही दिन में यानि दिनांक 11.04.13 को दो बार भुमि का आवंटन हुआ हैं। द्वितीय में आराजी नम्बर 215 में 0.4000 हैक्टर भुमि का आवंटन हुआ हैं। आवंटी के खाते में पूर्व से ही काफी मात्रा में भुमि दर्ज हैं। विपक्षी भुमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आता हैं। उसके द्वारा उक्त आवंटन धोखे एवं मिसरिप्रेजेन्टेशन से करवाया गया हैं। अतः कृपया किया गया आवंटन खारीज कराना फरमावें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा निवेदन किया गया है कि आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत विपक्षीगणों को दिनांक 11.04.13 को मजमेआम में अन्य आवंटीयो के साथ में नियमानुसार भूमि का आवंटन किया गया हैं। आवंटीत भुमि पर भारी लागत लगाकर भुमि को कृषि योग्य बनाया गया हैं व शान्तिपुर्वक कृषि कार्य

किया जाता रहा हैं। भुमि विपक्षीगण के कब्जे काश्त होकर शान्तिपुर्वक इसका उपयोग उपभोग किया जा रहा हैं। जो आवंटन किया गया है वह पूर्ण आवंटन कमेटी की कोरम द्वारा किया गया हैं। जिसकी जानकारी प्रार्थी को भी आवंटन दिनांक से भलीभांती हैं। प्रार्थी के पास में जो भी भुमि उपलब्ध थी वह पटवारी हल्का द्वारा जॉच रिपोर्ट में अंकित कर दी गई हैं। राजस्व ग्राम गणावल व अन्य किसी भी जगह पर नियमो से परे कोई कृषि भुमि नहीं हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज कराना फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो के अनुसार विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 11.04.13 को मौजा घणावल की आराजी नम्बर 215 में रकबा 0.4000 हैक्टर भुमि का आवंटन, आवंटन कमेटी द्वारा किया गया हैं। उक्त आवंटन कुल 4 व्यक्तियों को किया गया हैं। जिसमें से विपक्षी संख्या 1 व 2 के हिस्से में इसका 1/2 यानिकी 0.2000 हैक्टर आता हैं। द्वितीय बार इसी दिनांक को मौजा घणावल की आराजी नम्बर 2737 में विपक्षी संख्या 1 व 2 को 1.2400 हैक्टर भुमि का आवंटन किया गया हैं। पटवारी द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में प्रथम आवंटन में विपक्षीयो के खाते में 2.3700 हैक्टर भुमि का खाते में पूर्व से दर्ज होना बताया गया हैं। यानि इस भुमि में से 1/2 ही विपक्षी संख्या 1 व 2 के हिस्से में आनी चाहिये। वस्तुतः पटवारी को यहॉ स्पष्ट रिपोर्ट अंकित करनी चाहिये कि 1/2 के हिसाब से विपक्षी संख्या 1 व 2 के खाते में पूर्व से 1.1850 हैक्टर ही भुमि बनती हैं। द्वितीय आवंटन में पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में 0. 8600 हैक्टर भुमि दर्ज होना बताया हैं। संलग्न दस्तावेजो के अनुसार विपक्षी संख्या 1 व 2 के खाते में आवंटन से पूर्व खाते में कुल भुमि 2.0450 हैक्टर बनती हैं और दोनो बार में जो आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में हुआ है उसका रकबा 1.4700 हैक्टर बनता हैं। राजस्थान भु–राजस्व (कृषि हेतु भुमि आवंटन) नियम 1970 के क्लॉज 12 के अनुसार आवंटी के पूर्वधारित भुमि व आवंटीत होने वाली भूमि दोनो को मिलाकर 4 हैक्टर से अधिक नहीं होनी चाहिये। इस प्रकरण में इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 व 2 के द्वारा पूर्वधारीत भुमि

2.0450 हैक्टर एवं नवीन आवंटीत भुमि 1.4400 हैक्टर बनती हैं। दोनो का योग 3.4850 हैक्टर ही बनता हैं। जो नियमो से परे नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 इतनी भुमि धारीत करने की पात्रता रखते हैं। जहॉ तक प्रार्थी का कथन कि विपक्षीगण भुमिहीन की श्रेणी में नहीं आते है उनके खाते में पूर्व से ही भुमि दर्ज हैं। परन्तु अपने प्रार्थना पत्र में यह कही पर भी उल्लेख नहीं किया है कि कितनी भूमि उनके खाते में पूर्व से दर्ज हैं। प्रार्थी का द्वितीय कथन यह है कि इस आवंटीत भुमि पर मेरे पूर्वाधिकारीयो से आज दिनांक तक कब्जा रहा हैं। हमारे विरूद्ध इस आवंटीत भुमि पर कब्जा होने के कारण धारा 91 की कार्यवाही भी सम्पादित की गई हैं। जिसकी पुष्टि में नाजायज कब्जे के नोटिसो की छायाप्रतियॉ भी लगा रखी हैं। नाजायज कब्जे की रिपोर्टो को देखने पर यह प्रतित होता है कि जिस कब्जे की कार्यवाही प्रार्थीगणों के विरूद्ध हुई है वे अन्य आराजीयात हैं। इन आराजीयातो के विरूद्ध कार्यवाही नहीं हुई हैं। संलग्न नोटिसो में से पत्रावली संख्या 275/2007 का जो नोटिस है जिसमें कुल 5 आराजीयात होकर 1.5200 हैक्टर भुमि पर नाजायज कब्जा बताया गया हैं। जिसमें आराजी नम्बर 2737 का उल्लेख हैं। जो एक ही वर्ष का होकर उसके बाद में किसी भी नोटिस में इसका उल्लेख नहीं हैं। जहॉ तक नियमो के परिपेक्ष्य में देखा जावे तो यह दृष्टांत नहीं दिया जा सकता है कि अतिक्रमित भुमि की पात्रता अतिक्रमी रखता हो। चुंकी विपक्षीगणो को जो आवंटन हुआ है वह आवंटन कमेटी की राय से हुआ हैं। ऐसी स्थिति में उसका यह कथन भी मानने योग्य नहीं हैं। आवंटन नियम 1970 के नियम 15(1) (बी) में तत्काल कब्जा देने के प्रावधान हैं। संलग्न दस्तावेज अनुसार पटवारी द्वारा आवंटी को आवंटीत भुमि का कब्जा भी सिपुर्द कर दिया गया जिसमें भी उसके द्वारा यह कही नहीं बताया कि भुमि पर अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा हैं।

पत्रावली में प्रार्थी एवं विपक्षी दोनो द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवायी जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। परन्तु चुंकी न्यायालय किसी के पक्ष में अतिरिक्त साक्ष्य नहीं जुटा सकता हैं। कब्जा अपने अपने साक्ष्य सबुतो के आधार

पर साबित करना होता है ऐसी स्थिति में दोनो पक्षकारानो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट मंगवायी जाने का निरस्त किया जाता हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं पाये जाने से खारीज किया जाता हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय के प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर